

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) की अध्यक्षता में 01.02.2023 को दोपहर 12:20 बजे आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित एसईजेड (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, जेडीसी (JDC), एनएसईजेड (NSEZ)
 2. श्री एम.जी. शेरपा, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, गुरुग्राम
 3. श्री अशोक कुमार, आईईओ (IEO), उद्योग विभाग, गुरुग्राम
 4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी (DGFT), कार्यालय डीजीएफटी, सीएलए (CLA), नई दिल्ली
 5. श्री राम अवतार, डीटीसीपी (DTCP), हरियाणा के जूनियर ड्राफ्ट्समैन प्रतिनिधि
- इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री राजेश कुमार, उप. विकास आयुक्त (DDC), (ii) श्री अशोक कुमार, निर्दिष्ट अधिकारी, (iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त (ADC), (iv) श्री एच.के. मीणा, सहायक विकास आयुक्त (ADC) और (v) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी (UDC), अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
 - प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. दिनांक 05.01.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 05.01.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए 05.01.2023 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: अधिकृत संचालन के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के प्रस्ताव।

2.1 मैसर्स एसएफ (ASF) इंसिगनिया एसईजेड (SEZ) प्राइवेट लिमिटेड (विकासक)।

2.1.1 मैसर्स एसएफ (ASF) इंसिगनिया एसईजेड (SEZ) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, जिला-गुरुग्राम (हरियाणा) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के विकासक ने अपने एसईजेड (SEZ) में निम्नलिखित डिफॉल्ट/अनुमोदित अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

क्र.सं.	अधिकृत संचालन का नाम	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार प्राधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्र.सं	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
i.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	2.2	4.88
ii.	प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन।	बीओए द्वारा स्वीकृत	12.32

सुरेंद्र मलिक

क्र.सं.	अधिकृत संचालन का नाम	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार प्राधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्र.सं	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
iii.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), मल लाइनें, तूफान जल निकासी और उचित क्षमता के जल चैनल।	02	6.88
iv.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।	04	20.36
v.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	8.11
vi.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	13.16
vii.	ठोस और तरल अपशिष्ट संग्रह, उपचार और निपटान संयंत्र जिसमें पाइपलाइन और मल और कचरा निपटान, मल उपचार संयंत्र के लिए अन्य आवश्यक बनियादी ढाँचे शामिल हैं।	03	24.50
viii.	सुरक्षा कार्यालय, पुलिस पोस्ट आदि, प्रवेश, निकास और साइट के भीतर और आसपास के अन्य बिंदुओं पर।	11	1.85
ix.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल स्वयं के उपयोग के लिए	बीओए द्वारा स्वीकृत	6.50
		कुल:	98.56

2.1.2 मैसर्स एएसएफ (ASF) इंसिगनिया प्राइवेट लिमिटेड के डीजीएम (DGM) श्री अशोक कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सामग्री की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद संख्या 3: इकाई के क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव:-

3.1 मैसर्स इवैल्यूसर्व.कॉम प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I)।

3.1.1 मैसर्स इवैल्यूसर्व.कॉम प्राइवेट लिमिटेड ने केंडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड गांव में टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित अपनी इकाई के कुल स्वीकृत 53591 वर्गफुट क्षेत्र से '25967 वर्ग फुट 6वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 4' के एक क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इकाई ने उपरोक्त क्षेत्र के समर्पण के लिए एसईजेड (SEZ) विकासक द्वारा जारी 'अनापति प्रमाण पत्र' (NOC) दिनांक 22.12.2022 की प्रति प्रस्तुत की है। इकाई ने सूचित किया कि निर्यात, आयात और विदेशी मुद्रा आय के संबंध में वित्तीय अनुमानों में कोई बदलाव नहीं होगा।

3.1.2 श्री रमा शंकर ठाकुर, मैसर्स इवैल्यूसर्व.कॉम प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से '25967 वर्ग फुट छठी मंजिल, बिल्डिंग नंबर 4' को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इकाई हटाए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

सुरेंद्र मलिक

3.2 मैसर्स एमडॉक्स डेवलपमेंट सेंटर इंडिया एलएलपी (LLP)

3.2.1 मैसर्स एमडॉक्स डेवलपमेंट सेंटर इंडिया एलएलपी (LLP) ने, गुडगांव इंफोस्पेस लिमिटेड IT/ITES SEZ, ग्राम डूंडाहेरा, सेक्टर-21, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित अपनी इकाई के कुल 204053 वर्ग फुट के स्वीकृत क्षेत्र से, '46994 वर्ग फुट के एक क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें तीसरी मंजिल, टॉवर-सी, बिल्डिंग नंबर 3 (16800 वर्ग फुट), 5 वीं मंजिल, टॉवर-सी, बिल्डिंग नंबर 3 (16800 वर्ग फुट) और 8वीं मंजिल, टॉवर-A, बिल्डिंग नंबर 2 (13394 वर्ग फुट)', शामिल है। इकाई ने उपरोक्त क्षेत्र के समर्पण के लिए एसईजेड (SEZ) विकासक द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) दिनांक 16.01.2023 की प्रति प्रस्तुत की है। इकाई ने बताया कि उनके अनुमान वही रहेंगे।

3.2.2 सुश्री दीपिका दरयानी, कर प्रबंधक और सुश्री पूर्वा वासनानी, मैसर्स एमडॉक्स डेवलपमेंट सेंटर इंडिया एलएलपी (LLP) की प्रामाणिक प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से '46994 वर्ग फुट के तीसरे तल, टॉवर-सी, बिल्डिंग नंबर 3 (16800 वर्ग फुट), 5 वीं मंजिल, टॉवर-सी, बिल्डिंग नंबर 3 (16800 वर्ग फुट) और 8 फ्लोर, टावर-ए, बिल्डिंग नंबर 2 (13394 वर्ग फुट)' को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इकाई हटाए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या 04: इकाई के विलय/नाम परिवर्तन के प्रस्ताव:-

4.1 मैसर्स एनटीटी (NTT) डेटा ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

4.1.1 मैसर्स एनटीटी (NTT) डेटा ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में कैंडर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड की एक इकाई ने सूचित किया है कि एनटीटी (NTT) डेटा ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीटी डेटा जीडीएस) को माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी (NCLT), बेंगलुरु बेंच द्वारा जारी दिनांक 16.11.2022 के आदेश के अनुसार एनटीटी (NTT) डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एनटीटी डेटा आईपीएस) के साथ समामेलित किया गया है। पूर्वोक्त समामेलन 03.01.2023 से प्रभावी है, जिसके परिणामस्वरूप, एनटीटी (NTT) डेटा जीडीएस (GDS) की सभी संपत्तियां, देनदारियां, अनुबंध और संचालन, इसके कर्मचारियों सहित, कानून के संचालन द्वारा एनटीटी (NTT) डेटा आईपीएस (IPS) और एनटीटी (NTT) डेटा जीडीएस (GDS) को उक्त तिथि से भंग कर हस्तांतरित दिया गया है। इकाई ने एसईजेड का नाम 'एनटीटी (NTT) डेटा ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' से बदलकर परिणामी मर्ज की गई इकाई को 'एनटीटी (NTT) डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाने जाने का अनुरोध किया है।

4.1.2 प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित दस्तावेज: -

- मैसर्स एनटीटी (NTT) डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निगमन और जापन और एसोसिएशन के अनुच्छेद की प्रति।
- मैसर्स एनटीटी (NTT) डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के आईईसी (IEC) की प्रति।
- मैसर्स एनटीटी (NTT) डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों की नियुक्ति के लिए उनके पासपोर्ट / आवासीय पते के प्रमाण और पैन कार्ड की प्रतियों के साथ फॉर्म डीआईआर (DIR) 11/12 की प्रतियां।
- मैसर्स एनटीटी (NTT) डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पिछले 3 वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति विवरण की प्रतियां।

सुरेंद्र मलिक

- v. स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/29/2013-एसईजेड (SEZ)/8259 दिनांक 06.08.2013 के तहत मैसर्स एनटीटी (NTT) डेटा ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सभी संपत्तियों और देनदारियों को मैसर्स एनटीटी (NTT) डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा, इस आशय का एक उपक्रम निजी मर्यादित।

4.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/29/2013-एसईजेड (SEZ)/8259 दिनांक 06.08.2013 को 'एनटीटी (NTT) डेटा ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' से 'एनटीटी (NTT) डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी (NCLT), बेंगलुरु बेंच द्वारा जारी दिनांक 16.11.2022 के आदेश के अनुसार, स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार, उसमें निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन है। अनुमोदन उपरोक्त पैरा 4.1.2 में बताए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है।

4.2 मेसर्स एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होलिडिंग्स) लिमिटेड (इकाई-I)

4.2.1 मैसर्स एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होलिडिंग्स) लिमिटेड (इकाई-I), केंडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, ग्राम टीकरी, सेक्टर -48, गुरुग्राम (हरियाणा) की एक इकाई ने सूचित किया है कि एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होलिडिंग्स) लिमिटेड (ट्रांसफर) ने माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच, कोर्ट- II द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2022 के अनुसार 'कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड' (ट्रांसफरी) के साथ समामेलित किया है। इकाई ने उल्लेख किया है कि समामेलन का उद्देश्य परिचालन दक्षता और लागत को कम करना और तालमेल को अधिकतम करना, लागत को कम करना और एक केंद्रित प्रबंधन को सक्षम करना, अधिक वित्तीय ताकत और ताकत की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाना है। इकाई ने मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के संबंधित दस्तावेजों के साथ माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच, कोर्ट- II द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.12.2022 की प्रति प्रस्तुत की है।

4.2.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/26/2014-एसईजेड (SEZ)/10668 दिनांक 13.10.2014 को 'एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होलिडिंग्स) लिमिटेड' से 'कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड' पारित आदेश दिनांक 23.12.2022 के अनुसार माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच, कोर्ट- II द्वारा निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार पारित किया गया, जो उसमें निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन है, जिसके अनुसार स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

4.3 मेसर्स एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होलिडिंग्स) लिमिटेड (इकाई-II)

4.3.1 मैसर्स एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होलिडिंग्स) लिमिटेड (इकाई-II), केंडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, ग्राम टीकरी, सेक्टर -48, गुरुग्राम (हरियाणा) की एक इकाई ने सूचित किया है कि एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होलिडिंग्स) लिमिटेड (ट्रांसफर) ने माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच, कोर्ट- II द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2022 के अनुसार 'कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड' (ट्रांसफरी) के साथ समामेलित किया है। इकाई ने उल्लेख किया है कि समामेलन का उद्देश्य परिचालन दक्षता और लागत को कम करना और तालमेल को अधिकतम करना, लागत को कम करना और एक केंद्रित प्रबंधन को सक्षम करना, अधिक वित्तीय ताकत और ताकत की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाना है। इकाई ने मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के संबंधित दस्तावेजों के साथ माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच, कोर्ट- II द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.12.2022 की प्रति प्रस्तुत की है।

4.3.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/27/2014-एसईजेड (SEZ)/7610 दिनांक 09.07.2014 को 'एरिसेंट टेक्नोलॉजीज (होलिडिंग्स) लिमिटेड' से

सुरेंद्र मलिक

'कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड' पारित आदेश दिनांक 23.12.2022 के अनुसार माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बेंच, कोर्ट- II द्वारा निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार पारित किया गया, जो उसमें निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन है, जिसके अनुसार स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मद संख्या 5: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन/निरस्त करने के प्रस्ताव:-

5.2 मैसर्स आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स फेज-1 प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासक।

5.2.1 मैसर्स आईटीपीजी डेवलपर्स फेज-1 प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासक ने आवंटन के लिए भू-तल पर निर्मित स्थान ब्लॉक -1, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस एसईजेड, ग्राम बेहरामपुर, गुरुग्राम (हरियाणा) में प्रसंस्करण क्षेत्र के विकासक को जारी अनुमति पत्र संख्या 10/76/2012-एसईजेड/4891 दिनांक 01.05.2019 को रद्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें मैसर्स डोसा एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे के आधार पर एक 'फूड कोर्ट' स्थापित करने और संचालित करने के लिए, कहा गया है परन्तु मैसर्स डोसा एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड (SEZ) में 'फूड कोर्ट' के रूप में काम नहीं करने का विकल्प चुना है।

5.2.2 मैसर्स आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स फेज-1 प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि सुश्री श्वेता सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया।

5.2.3 विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति पत्र (संख्या 10/76/2012-एसईजेड (SEZ)/ 4891 दिनांक 01.05.2019) जो इसके अधीन है कि मैसर्स डोसा एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहमति पत्र जमा करेगी।

5.2 मैसर्स डीएलएफ (DLF) एसेट्स लिमिटेड, सह-विकासक (डीएलएफ लिमिटेड एसईजेड)।

5.2.1 मैसर्स डीएलएफ (DLF) एसेट्स लिमिटेड, के सह-विकासक ने डीएलएफ (DLF) लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, ग्राम सिलोखेरा, सेक्टर 30, गुरुग्राम (हरियाणा), में लगभग 252 वर्गफुट (सुविधा कियोस्क-लगभग 81 वर्गफुट और लाउंज- लगभग 171 वर्गफुट) उक्त एसईजेड (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में ब्लॉक-ए के पास खुले क्षेत्र (आराम करने का क्षेत्र) में, मैसर्स सेल्सफाई मार्केटिंग एलएलपी (LLP) को एसईजेड (SEZ) इकाई के कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा के लिए फास्ट फूड और पेय पदार्थ बेचने के लिए लाउंज के साथ सुविधा कियोस्क चलाने के लिए एसईजेड (SEZ) में क्षेत्र के आवंटन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

5.2.2 मैसर्स डीएलएफ (DLF) एसेट्स लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री तिलक खुराना और श्री पीतांबर शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

5.2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से प्रसंस्करण क्षेत्र में ब्लॉक-ए के पास खुले क्षेत्र (आराम करने का क्षेत्र) एसईजेड (SEZ) ने मैसर्स सेल्सफाई मार्केटिंग एलएलपी (LLP) में लगभग 252 वर्ग फीट (सुविधा कियोस्क-लगभग 81 वर्ग फीट और लाउंज- लगभग 171 वर्ग फीट) क्षेत्र के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार फास्ट फूड और पेय पदार्थ बेचने के लिए लाउंज के साथ सुविधा कियोस्क चलाने के लिए है। इसके अलावा, यह इस शर्त के अधीन है कि मैसर्स सेल्सफाई मार्केटिंग एलएलपी (LLP) को एसईजेड (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मैसर्स सेल्सफाई मार्केटिंग एलएलपी (LLP) एसईजेड (SEZ) परिसर में ऐसी सुविधा के संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/ मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से उसमें स्थित एसईजेड (SEZ) इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

सुरेंद्र मलिक

मद संख्या 6. पूंजीगत माल/इनपुट सेवाओं आदि में वृद्धि के प्रस्ताव:-

6.1 मैसर्स अप्लाईबोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

6.1.1 मैसर्स अप्लाईबोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आयातित पूंजीगत सामान, आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं के मूल्य में वृद्धि और डीएलएफ (DLF) लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, गांव-सिलोखेरा, सेक्टर -30, गुरुग्राम (हरियाणा), में स्थित अपनी इकाई के निर्यात/एनएफई (NFE) अनुमानों में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जैसा कि नीचे दिया गया है:

(रुपये लाख में)

विवरण (5 वर्ष के लिए)	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात का अनुमानित एफओबी मूल्य	47964.00	55025.00
विदेशी मुद्रा निकासी	1020.00	2196.00
एनएफई आय	46944.00	52829.00
आयातित पूंजीगत सामान	0.00	831.00
स्वदेशी पूंजीगत सामान	1980.00	1980.00
आयातित इनपुट सेवाएं	1020.00	1365.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	387.00	2489.00

6.1.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से आयातित पूंजीगत सामान, आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं के मूल्य में प्रस्तावित वृद्धि और इकाई के निर्यात/एनएफई (NFE) अनुमानों में संशोधन को मंजूरी दी। यह अनुमोदन आयातित पूंजीगत वस्तुओं की सूची और 67 सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के अनुसार क्रम संख्या और विवरण देते हुए आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची प्रस्तुत करने के अधीन है।

मद संख्या 7: एसईजेड (SEZ) के संशोधित मास्टर प्लान की स्वीकृति:-

7.1 मैसर्स कैंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

7.1.1 जिला नगर योजनाकार (मुख्यालय), कार्यालय डीजी, नगर और देश योजना, हरियाणा ने अपने मेमो नंबर एसईजेड-5-वॉल्यूम- II / जेडी (आरए) / 2023/1859 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा अपनी परीक्षा रिपोर्ट / सिफारिश को अग्रेषित किया है आईटी/आईटीईएस एसईजेड में मैसर्स कैंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ग्राम-टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा), के अधिसूचित 10.1929 हेक्टेयर क्षेत्र के संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी। डीटीपी (DTP) (मुख्यालय) ने उल्लेख किया है कि संशोधित मास्टर प्लान की जांच की गई है। गणना क्रम में है और मास्टर प्लान हरियाणा एसईजेड नियम, 2007 और एसईजेड (SEZ) अधिनियम, 2005 के अनुरूप है। एसटीपी (STP) (मुख्यालय) ने सिफारिश की है कि उनके उपरोक्त मेमो दिनांक 19.01.2023 में उल्लिखित शर्तों के अधीन संशोधित मास्टर प्लान को अनुमोदित किया जा सकता है।

7.1.2 श्री राम अवतार, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, डीटीसीपी (DTCP), हरियाणा के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1666 (ई) दिनांक 15.04.2021, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने कुल अधिसूचित क्षेत्र को 10.1929 हेक्टेयर बनाकर उक्त एसईजेड (SEZ) के अधिसूचित 10.041 हेक्टेयर में 0.1519 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी की थी। विकासक ने अतिरिक्त अधिसूचित क्षेत्र सहित एसईजेड (SEZ) का संशोधित महायोजना प्रस्तुत किया था जिसकी जांच की गई है और अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई है।

7.2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने मैसर्स कैंडोर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के संशोधित महायोजना के अनुमोदन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। यह स्वीकृति जिला नगर योजनाकार

सुरेंद्र मलिक

(मुख्यालय), ओ/ओ डीजीटीसीपी (DGTCP) हरियाणा, चंडीगढ़ के ज्ञापन संख्या एसईजेड-5-वॉल्यूम-द्वितीय/जेडी (आरए)/2023/1859 दिनांक 19.01.2023 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

मद संख्या 8: अधिकृत संचालन के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के प्रस्ताव।

8.1 मैसर्स कैंडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक।

8.1.1 मैसर्स कैंडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, के विकासक ने आईटी/आईटीईएस एसईजेड, ग्राम टीकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में अपने एसईजेड (SEZ) में निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत संचालन को जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में समस्त प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	17.55
II.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	40.20
III.	दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित अन्य संचार सुविधाएं।	05	7.25
IV.	भूनिर्माण और जल निकास।	08	13.18
		कुल:	78.18

8.1.2 मैसर्स कैंडोर गुडगांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जय कुमार और श्री अमरीक सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया।

8.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सामग्री की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.2 मैसर्स कैंडोर कोलकाता वन हाई-टेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासक।

8.2.1 मैसर्स कैंडोर कोलकाता वन हाई-टेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, के सह-विकासक ने गुडगांव इंफोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, ग्राम डंडाहेरा, सेक्टर -21, गुरुग्राम (हरियाणा), में जारी रखने के लिए एसईजेड (SEZ) में निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत संचालन सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	यूएसी (UAC) द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	29.67
II.	प्रसंस्करण क्षेत्र की वातानुकूलन।	21	110.00

सुरेंद्र मलिक

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
III.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	2.10
		कुल:	141.77

8.2.2 मैसर्स कैडोर कोलकाता वन हाई-टेक स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जय कुमार और श्री अमरीक सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया।

8.2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सामग्री की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/ निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद क्रमांक 9: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन/निरस्त करने के प्रस्ताव:-

9.1 मैसर्स आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स फेज-1 प्राइवेट लिमिटेड (कैफे बाय सोल)

9.1.1 मैसर्स आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स फेज-1 प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्स को ब्लॉक-1 लॉबी (कियोस्क एरिया) में 140 वर्ग फुट निर्मित जगह के आवंटन के लिए प्रस्ताव पत्र जारी किया है, कैफे बाई सोल प्राइवेट में आईटीपीजी (ITPG) विकासक प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस एसईजेड लिमिटेड के गांव बेहरामपुर गुरुग्राम (हरियाणा) के प्रसंस्करण क्षेत्र में 'कॉफी कियोस्क' स्थापित और संचालित करने के लिए।

9.1.2 मैसर्स आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स फेज-1 प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि सुश्री श्वेता सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया।

9.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से ITPG डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस एसईजेड गांव बेहरामपुर, गुरुग्राम (हरियाणा) के प्रसंस्करण क्षेत्र में 'कॉफी कियोस्क' स्थापित करने और संचालित करने के लिए मैसर्स कैफे बाय सोल प्राइवेट लिमिटेड को 140 वर्गफुट निर्मित स्थान के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमोदन एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार है, और इस शर्त के अधीन है कि मैसर्स कैफे बाय सोल प्राइवेट लिमिटेड को ऐसी सुविधा स्थापित करने, संचालित करने और एसईजेड (SEZ) का प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए रखने के लिए कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मैसर्स कैफे बाय सोल प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड (SEZ) परिसर में ऐसी सुविधा के संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/ मंजूरी/ अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस सुविधा का उपयोग विशेष रूप से उसमें स्थित एसईजेड (SEZ) इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

9.2 मैसर्स आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

9.2.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया था कि मैसर्स आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक के अनुरोध पर उनके इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी/आईटीईएस एसईजेड गांव बेहरामपुर, सेक्टर-59 के पास, गुरुग्राम, हरियाणा, इस कार्यालय पत्र दिनांक 18.01.2023 द्वारा वाणिज्य विभाग को यह सूचित करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था कि क्या कोई पूर्वता है जहां देश में किसी अन्य एसईजेड (SEZ) में यूएसी (UAC)/बीओए (BOA) द्वारा बार को खोलने कि सुविधाएं को मंजूरी दी गई है। यह अनुरोध इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.01.2023 द्वारा महानिदेशक, उद्योग विभाग, हरियाणा सरकार को इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि हरियाणा में आईटी/आईटीईएस पार्क/एसईजेड में बार खोलने की अनुमति है या नहीं। इस मामले में कार्यालय द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, हरियाणा राज्य

सुरेंद्र प्रतिलक

के मौजूदा नियमों / विनियमों की शर्तों के अनुसार। तथापि, वाणिज्य विभाग के साथ-साथ डीआईसी (DIC), हरियाणा से उत्तर प्रतीक्षित है।


9.2.2 मैसर्स आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक ने एसईजेड (SEZ) में संबंधित सुविधाओं पर शीतल और कठोर पेय पदार्थों के साथ बहु-व्यंजन व्यंजन परोसने वाले रेस्तरां की स्थापना के लिए फिर से अनुरोध प्रस्तुत किया है। उनके अनुरोध के समर्थन में विकासक ने फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता की 27.02.2019 को आयोजित यूएसी (UAC) बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख किया है, जिसमें यूएसी (UAC) ने प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर मेहमानों और उनके सम्मेलन केंद्र और फूड कोर्ट के लिए शराब की पेशकश के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। विकासक ने वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा आबकारी नीति की एक प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें पैरा 9.8.1(iii) में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी (IMT) और थीम/ विशेषीकृत पार्क का लाइसेंस स्वीकृति के लिए उल्लेखित किया गया है।


9.2.3 मैसर्स आईटीपीजी (ITPG) डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि सुश्री श्वेता सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूएसी (UAC) ने प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर मेहमानों और उनके सम्मेलन केंद्र और फूड कोर्ट के लिए शराब की पेशकश के लिए एक एसईजेड (SEZ) इकाई को अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा, हरियाणा आबकारी नीति 2022-2023 के पैरा 9.8.1(iii) में यह भी प्रावधान है कि औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी (IMT) और थीम/विशिष्ट पार्क बार लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, अनुमोदन बोर्ड ने 26.05.2022 को आयोजित अपनी 110वीं बैठक में एक सह-विकासक, मैसर्स सैवी एटीएस (ATS) रियल्टी एलएलपी (LLP) को गिफ्ट बहु- सेवाएं एसईजेड (SEZ), गांधीनगर, गुजरात में 'शराब की दुकान' विकसित करने और संचालित करने के लिए भी मंजूरी दी है।

9.2.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से विकासक के प्रस्ताव को निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों के साथ आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए वाणिज्य विभाग को अग्रेषित करने का निर्णय लिया: -

- i. नोएडा में आईटी पार्कों में बार खोलने की अनुमति देने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश की प्रति।
- ii. हरियाणा आबकारी राजव्यवस्था 2022-2023 की प्रति।
- iii. फाल्टा एसईजेड (SEZ) की 27.02.2019 को आयोजित यूएसी (UAC) बैठक के कार्यवृत्त की प्रति।
- iv. गिफ्ट सिटी के मामले में दिनांक 26.05.2022 को आयोजित 110वीं बीओए (BOA) बैठक का कार्यवृत्त।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त